19-11-16

राज्य द्वारा एडीपीओ अभियुक्त सुरेन्द्र अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील प्राप्त हो चुका है कि अभियुक्त उसके संभावित पतो पर नहीं मिला है और कई बार तलाश करने पर उपस्थिति नहीं हो पाई है। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ती तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप0 नहीं हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द०प्र०सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त **सुरेन्द्र पुत्र कामताप्रसाद राठौर निवासी छतरपुरा गोहद** को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त करार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

250 on (and al2.)
2510 on (and al2.)
19/11/16

Judicial Magistrate First Class Gohad distt. Bhind (M.P.)